(35)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0 सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2738–एक/2016 – विरूद्व आदेश दिनांक 04 –07–2015 – पारित व्दारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल – प्रकरण कमांक 406/2013–14 अपील

श्रीमती गुलाब वाई पत्नि श्री रामसिंह कोरी
ग्राम ब्योंची तहसील विदिशा जिला विदिशा ———आवेदक

विरूद्व

श्यामलाल पुत्र गॅगाराम कोरी
ग्राम ब्योंची तहसील विदिशा जिला विदिशा ———अनावेदक

(आवेदक की ओर से उनके पति श्री राम सिंह कोरी स्वयं)
(अनावेदक की ओर से अभिभाषक श्री नीरज श्रीवास्तव)

आ दे श

(आज दिनांक 3–11 – 2016 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 406/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–7–2015 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत हुई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम ब्योंची थाना करारिया के कोटवार की मृत्यु होने पर पद रिक्त हुआ। तहसीलदार विदिशा ने प्रकरण कमांक 1 अ–56/2006–07 में पारित आदेश दिनांक 5–1–2008 से अनावेदक को कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान की। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के न्यायालय

में अपील कमांक 39/2007–08 प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी विदिशा ने आदेश दिनांक 19–5–2008 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के समक्ष अपील कमांक 352/2007–08 प्रस्तुत हुई। अपर आयुक्त ने आदेश दिनांक 1–8–2009 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये तथा प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई एंव आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया। अपर आयुक्त के आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल ग्वालियर में निगरानी कमांक 1465–तीन/2009 प्रस्तुत की गई, इसी दरम्यान तहसीलदार व्दारा कोटवार पद नियुक्ति वावत् दिनांक 18–10–2011 को अंतिम आदेश पारित कर देने से निगरानी निरर्थक होने से निरस्त कर दी गई।

अपर तहसीलदार विदिशा ने अपर आयुक्त, भोपाल संभाग के अपील कमांक 352/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 1–8–2009 के कम में पक्षकारों के सम्बन्ध में जॉच की तथा सुनवाई कर आदेश दिनांक 18–10–11 पारित किया एंव आवेदक को कोटवार पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी। इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के समक्ष अपील कमांक 66/11–12 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 29–1–14 से अपील निरस्त की गई। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त,भोपाल संभाग,भोपाल के समक्ष अपील कमांक 406/13–14 प्रस्तुत हुई , जिसमें पारित आदेश दिनांक 4–7–15 से अपील स्वीकार कर दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये गये तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया कि तहसीलदार के प्रकरण में संलग्न आवेदन दिनांक 5–9–11 पर विचार करते हुये अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 1–8–2009 में दिये गये निर्देशानुसार पुनः विधिसंगत आदेश पारित किया जाय। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारो के परिप्रेक्ष्य में आवेदक के पति श्री रामसिंह ने उपस्थित होकर लेखी बहस प्रस्तुत की, जिसकी प्रति अनावेदक के अभिभाषक को देकर तर्क सुने गये तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ प्रस्तुत लेखी बहस एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव

अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अपर आयुक्त, भोपाल संभाग ने अपील कमांक 352/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 1–8–2009 से दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर प्रकरण हितबद्व पक्षकारों की सुनवाई एंव आपराधिक प्रकरणों के सम्बन्ध में जांच कर पुनः आदेश पारित करने हेतु प्रत्यावर्तित किया, अपर तहसीलदार विदिशा का दायित्व था कि वह कोटवार पद के दावेदारों के सम्बन्ध में उनके आपराधिक रिकार्ड की भलीभॉति छानवीन करते, किन्तु उनके व्दारा अनावेदक के आपराधिक प्रकरणों में निर्दोष सिद्व होने का तथ्य बताने के वाद भी अनावेदक के आवेदन दिनांक 5–9–11 पर विचार नहीं किया, जिसके कारण अपर आयुक्त, भोपाल संभाग ने अपील कमांक 352/2007–08 में पारित आदेश दिनांक 1–8–2009 में दिये गये निर्देशों का पालन न होना पाये जाने पुर्नअपील कमांक 406/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 4–7–2015 से अपर तहसीलदार विदिशा के आदेश दिनांक 18–10–11 को तथा अनुविभागीय अधिकारी विदिशा के आदेश दिनांक 29–1–14 को निरस्त कर पक्षकारों को न्यायदान के लिये प्रकरण पुनः प्रत्यावर्तित किया है जिसमें किसी प्रकार का दोष दिखाई नहीं होने से यह निगरानी व्यर्थ प्रतीत होती है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल व्दारा प्रकरण कमांक 406/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक 4–7–2015 विधिवत् होने से यथावत् रखा जाता है एंव निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर